

**लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़****पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 039/2025(सू.अ.) (GCMS 2025/133)	दायर दिनांक 12-05-2025	निर्णय दिनांक 10-06-2025
---	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

संजय कुमार जैन पिता मिश्रीलाल जैन निवासी गोढी भवन वार्ड नंबर 8 रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ पिन-323307 (मोबाईल 9509170354)

**अपीलार्थी****बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

**प्रत्यर्थी**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**--:: निर्णय ::--**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 12.02.2025 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समयावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./039/2025(सू.अ.) (10.06.2025)360 दिनांक 12.05.2025 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 10.06.2025 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/103 दिनांक 10.06.2025 से बिन्दुवार टिप्पणी/



कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा कमेंट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थी श्री संजय कुमार जैन पिता मिश्रीलाल जैन निवासी गोढी भवन वार्ड नंबर 8 रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र के संबंध में प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/48 दिनांक 28.02.2025 से वांछित सूचना के लिए लिखा गया है, परन्तु सूचना आदिनांक अप्राप्त है। (प्रति संलग्न)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र से वांछित सूचना उपलब्ध होने पर प्रार्थी को यथाशीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी, अतः अपील निरस्त फरमाने का श्रम करारें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।

इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात से अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य बखूबी प्रमाणित कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2025 मय आवेदन शुल्क के लोक सूचना अधिकारी को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया गया है, इस तथ्य को लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित कराया गया है। हमने अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार



अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र 24.02.2025 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग से अपेक्षित है एवं सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी/आवेदक को उपलब्ध करा दी जायेगी।

इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2025 का नियमानुसार निर्धारित समयावधि में निस्तारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन-पत्र जो कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2025 के संबंध में निस्तारण की विहित समयावधि में नहीं किया जाना प्रमाणित पाया गया है, एवं अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन पत्र जो कि प्रस्तुत किये जाने की विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 24.02.2025 में वर्णित बिन्दुओं से वांछित सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना अवगत कराया गया है, एवं अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राप्त आवेदन हेतु निर्धारित समयावधि में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 24.02.2025 जो कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किया गया है, बाबत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2025 से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग जिला कार्यालय से प्राप्त कर 10 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़, प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग जिला कार्यालय एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **10.06.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(आलोक रंजन)(I.A.S.)  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
(राजस्व) (जिला कलक्टर),  
चित्तौड़गढ़ (राज.)